

अण्डमान तथा  
Andaman And



निकोबार राजपत्र  
Nicobar Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
Published by Authority

सं. 74, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 05 जुलाई, 2023  
No. 74, Port Blair, Wednesday, July 05, 2023

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
(पर्यावरण एवं वन विभाग)

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 05 जुलाई, 2023 ।

सं. 74/2023/फा.सं. एफ.(टी)/21/वॉल्यूम-IV/03.— भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 7.11.1951 की अधिसूचना संख्या 69/49/50-AN के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) की धारा 41 और 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं 1966 की अधिसूचना सं. 4, 1981 की सं. 50, 2004 की सं. 81, 2007 की सं. 219 (क) तथा 2015 की सं. 329 का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :

- (क) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन उत्पाद पारगमन नियम, 2022 कहा जाएगा।  
(ख) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो :  
(क) "वन उत्पाद" अर्थात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) में परिभाषित वन उत्पाद।  
(ख) "द्वीपसमूह" अर्थात् अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।  
(ग) "मेक शिफ्ट यूनिट (MSU)" अर्थात् वह इकाई है जिन्हें 1995 की डब्ल्यू. पी.(सी) सं. 202 में 2007 की आई.ए.सं. 2208 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21.11.2008 के आदेश के अनुसार संचालन तथा लवठों को परिवर्तित करने की अनुमति है।  
(घ) "लकड़ी" अर्थात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) में परिभाषित "लकड़ी"।  
(ङ) इसके व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्ति के साथ "आरा चलाना" अर्थात् विद्युत या यांत्रिक शक्ति की सहायता से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अथवा मैनुअल रूप से संचालित आरी द्वारा लकड़ी चीरने, काटने, परिवर्तित करने, फेशन करने या सीजनिंग करने तथा उसका संरक्षण और उपचार।  
(च) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिनका इन नियमों में उपयोग किया गया है, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में परिभाषित हैं।
- ये नियम अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के भीतर किसी भी स्रोत से प्राप्त वन उत्पाद पर लागू होंगे जो उक्त द्वीपसमूहों की सीमाओं में आयात, निर्यात या उसके भीतर किसी भी मार्ग से, में या के भीतर स्थानांतरित किए जाते हैं।
- (क) नियम 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर, कोई भी व्यक्ति किसी लकड़ी या अन्य वन उत्पादों को नहीं छिपाएगा।

- (ख) राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास/अनापत्ति प्रमाण पत्र या प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत वन रक्षक या अपर के ओहदे के वन विभाग के किसी अधिकारी से इसमें अनुलग्न प्रपत्र "ए" में जारी पारगमन पास तथा ऐसे पारगमन पास की शर्तों के अनुसार द्वीपसमूह में या द्वीपसमूह से या उसके भीतर किसी वन उत्पादन को लाना, ले जाना तथा स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- (ग) द्वीपसमूह के बाहर लठ्ठे या चीरी हुई लकड़ी को ले जाना सख्त मना है।
- (घ) द्वीपों में सजावटी लकड़ी जैसे मार्बलवुड, चूई, सैटिनवुड और पडौक का बर/बट्रेस का पारगमन पास जारी करना प्रतिबंधित है, जब तक कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की अनुमति न ली गयी हो।
- (ङ) लकड़ी या अन्य वन उत्पाद का परिवहन करने का इच्छुक, कोई भी व्यक्ति पारगमन पास जारी करने या राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) के माध्यम से पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने के लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी से आवेदन करना होगा। आवेदक लकड़ी या अन्य वन उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी की प्रजाति, आकार और मात्रा को उल्लेख करेगा और ऐसी लकड़ी या अन्य वन उत्पाद की उत्पत्ति का स्रोत और उसके समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी देगा। उसे आवेदन में शिपमेंट का उद्देश्य, मार्ग और उसके गंतव्य का भी उल्लेख करना होगा। द्वीपों से बाहर लकड़ी के अलावा अन्य वन उत्पाद के शिपमेंट के लिए पारगमन पास जारी करने के लिए आवेदक को शिपमेंट की वांछित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (च) प्रभागीय वन अधिकारी, उपरोक्त नियम 4 के उप-नियम (ङ) में निर्धारित किये गये तरीकों के अनुसार पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने/बनाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, उस लकड़ी या अन्य वन उत्पाद की उत्पत्ति का स्रोत सुनिश्चित करने के लिए जितना जल्दी हो सके जांच कराएगा, जिसके लिए पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। जांच पूरी होने पर, यदि प्रभागीय वन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि संतुष्ट हो जाते हैं कि लकड़ी या अन्य वन उत्पादन के लिए सरकार को कुछ भी बकाया नहीं है और लकड़ी या अन्य वन उत्पाद की उत्पत्ति का स्रोत वैध है, तो वे पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने या राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) के माध्यम से पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा।
- (छ) नियम 9 के तहत प्रावधान के अनुसार लठ्ठे या चीरी हुई लकड़ी पर लकड़ी के मालिक के पंजीकृत संपत्ति चिन्ह तथा सरकारी हथौड़ा चिन्ह लगाने के बाद प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा जनहित में अत्यावश्यक समझे जाने पर, घाटों/बंदरगाहों या अन्य क्षेत्रों को छोड़ कर कार्यालय अवधि के दौरान कार्य दिवसों में पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (ज) इन सभी लठ्ठे या चीरी हुई लकड़ी पर सरकारी हथौड़े का चिन्ह लगा होगा जिसके लिए पारगमन पास जारी किया गया हो। लठ्ठे और चीरी हुई लकड़ी के पारगमन पास जारी करते समय पारगमन पास पर उत्पाद का विस्तृत विवरण, लठ्ठे या चीरी हुई लकड़ी पर लगे संपत्ति हथौड़े के चिन्ह और सरकारी हथौड़े के चिन्ह को दर्ज किया जाएगा।
- (झ) लकड़ी के अलावा अन्य वन उत्पादों को जलयान द्वारा मुख्यभूमि के बंदरगाहों पर भेजने के मामले में, पारगमन पास की चार प्रतियाँ निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएंगी :
- (i) पहली प्रति को कार्यालय प्रति के रूप में जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाएगा।
  - (ii) दूसरी प्रति वन उत्पाद के मालिक को दी जाएगी।
  - (iii) तीसरी प्रति मुख्यभूमि के डिपो अधिकारी को दी जाएगी।
  - (iv) चौथी प्रति वाहक को दी जाएगी (किसी भी परिवहन एजेंसी को वैध पारगमन पास के बिना शिपमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी)।

- (ज) पारगमन पास धारक संबंधित राज्यों के पारगमन नियमों का पालन करेंगे जिनके माध्यम से या जिनमें वन उत्पादन का परिवहन किया जाना है।
- (ट) आवश्यक होने पर अण्डमान तथा निकोबार वन विभाग के किसी भी वन अधिकारी द्वारा पारगमन के दौरान लकड़ी या अन्य वन उत्पादों की जाँच की जा सकती है।
- (ठ) द्वीपसमूह में या द्वीपसमूह के भीतर लाने-ले जाने वाले विभिन्न वन उत्पाद के पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। यह प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सक्षमता के भीतर तथा सरकारी अनुमोदन के सापेक्ष द्वीप समूह में कम मात्रा में उपलब्ध विशिष्ट प्रकार के वन उत्पादों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए होगा।
5. द्वीपसमूह में या द्वीपसमूह के भीतर सभी वन उत्पादों के आयात और निर्यात, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के नियंत्रणाधीन है।
6. द्वीपसमूह में या द्वीपसमूह के भीतर वन उत्पादों के आयात, निर्यात तथा द्वीपसमूह के भीतर स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति या पारगमन के समय जिनके पास वन उत्पाद हैं या उसके प्रभारी हैं, उन्हें किसी भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाणपत्र (नियम 4 में संदर्भित) प्रस्तुत करना होगा।
7. (क) कोई भी वाहन बैलगाड़ी/पशुगाड़ी/नाव या अन्य जहाज जिन पर यह नियम लागू होने वाले वन उत्पाद, ले जाने का संदेह हो, किसी भी वन अधिकारी द्वारा जांच के उद्देश्य से द्वीप समूह के भीतर रोका जा सकता है।
- (ख) इन वन उत्पादों पर वन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को देय और बकाया राशि निकटतम वन कार्यालय में ली जाएगी।
- (ग) कोई भी वन उत्पाद जो नियम 4 के उप-नियम (ख) में विनिर्दिष्ट पारगमन पास के बिना एवं बोट, पशु-गाड़ी, वाहनों अथवा पशुओं, परिवहन के अन्य साधनों जोकि उक्त लकड़ी या अन्य वन उत्पादों को ले जा रहा हो, जिसे नियम 4 के उप-नियम (क) की अवहेलना में छुपाया गया हो, को पकड़ा जा सकता है और भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) में शामिल प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है और इस संदर्भ में पकड़े हुए जानवरों को ज़ब्त किया जा सकता है।
- (घ) पोर्ट ब्लेयर की नगरपालिका सीमा के भीतर चीरी हुई लकड़ी की आवाजाही के लिए डीलर / आरा मिल मालिक द्वारा जारी किया गया चालान, जिसे संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, को इन नियमों के प्रयोजनों के लिए पारगमन पास माना जा सकता है।
- (ङ) सरकारी आरा मिलों से चीरी हुई लकड़ी के संचलन के लिए, सरकारी आरा मिलों द्वारा किसी भी उद्देश्य से जारी किए गए गेट पास को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के भीतर इन नियमों के प्रयोजनों के लिए पारगमन पास माना जा सकता है।
8. (क) कोई भी वन अधिकारी, जिसने नियम 7 के अधीन किसी वन उत्पाद को ज़ब्त किया है उनके द्वारा :
- (i) जब्ती के समय ऐसे वन उत्पादों के मालिक को, या यदि मालिक अज्ञात है, तो ऐसी वन उपज के प्रभारी या अधिकार रखने वाले व्यक्ति को तुरंत एक लिखित नोटिस जारी कर उनसे लिखित सूचना जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर वन उत्पाद की उत्पत्ति और उसका मालिकाना हक का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसकी एक प्रति वन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शायी जाएगी।
- (ii) अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट को अपराध के विचारण (trial) के लिए जब्ती की रिपोर्ट फॉर्म 'बी' के साथ संलग्न कर देरी किये बिना जमा की जाएगी।
9. (क) कोई भी व्यक्ति जो फैशंड (fashioned) या अन-फैशंड (unfashioned) लकड़ी का व्यापार करता है, संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के पास सम्पत्ति चिह्न पंजीकृत करवाएगा, जिसे प्रभागीय वन अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् और संबंधित मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, प्रभागीय वन कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा। इस प्रकार पंजीकृत संपत्ति चिह्न वर्ष के 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले 3 कैलेंडर वर्षों के लिए वैध रहेगा, जिसका नवीनीकरण निम्नलिखित उप-नियम (छ) के तहत होगा।
- बशर्ते कि प्रभागीय वन अधिकारी, अपने विवेक से और किसी भी समय ऐसे पंजीकृत संपत्ति चिह्न को वापस करा कर उसके जगह एक नये अनुमोदित संपत्ति चिह्न का प्रतिस्थापन करा सकता है।

- (ख) उपरोक्त उप-नियम (क) के प्रावधानों के अतिरिक्त, मेक शिफ्ट यूनिट, पारगमन पास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी -
- (i) मेक शिफ्ट यूनिट के लिए प्रॉपर्टी हैमर का पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल इस शर्त पर जारी किया जाएगा कि मालिक द्वारा यूनिट को चलाने के लिए निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म डी) में रजिस्टर रखेगा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। परिवर्तन के लिए स्वीकृत लकड़ी की कुल मात्रा और अपरिवर्तित स्टॉक और उत्पाद के प्रकारों के साथ/चीरी हुई लकड़ी का मासिक विवरण प्रभागीय वन अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाएगा।
  - (ii) मेक शिफ्ट यूनिट का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि (i) स्टॉक लेने में आसानी के लिए प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार लट्टे, चीरी हुई लकड़ी और लकड़ी के अपशिष्टों को ठीक से ढेर लगाकर रखा गया है। (ii) चीरे जाने वाले लट्टों को यूनिट (unit) में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर संपत्ति के हथौड़े का निशान न हो और उसके लिए पारगमन पास न लिया गया हो। इस उद्देश्य के प्रयोजन के लिए मेक शिफ्ट यूनिट या इसके परिसर में चीरने या बदलने के लिए पड़ी सभी लकड़ियों को मेक शिफ्ट यूनिट के मालिक के अभिरक्षा में रखा हुआ माना जाएगा। (iii) ऐसी लकड़ियाँ जो (ii) की शर्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं उसे रूपांतरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी लकड़ी के संबंध में सूचना तत्काल ही निकटतम वन कार्यालय को दी जाएगी और (iv) मेक शिफ्ट यूनिट एवं यूनिट के परिसर के भीतर संग्रहित लकड़ी किसी वन अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।
  - (iii) मेक शिफ्ट यूनिटों के स्वामित्व में परिवर्तन की स्थिति में सम्पत्ति चिह्नों के पंजीकरण के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का नए सिरे से पालन करना होगा और जब तक संबंधित वन प्रभागीय अधिकारी द्वारा नया पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जाएगी।
  - (iv) मेक शिफ्ट यूनिट का मालिक जब यूनिट को चलाने का इच्छुक न हो, तो वह संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को सूचित करेगा और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सम्यक रूप से अपनी संपत्ति के चिन्ह को मुहरबंद कर प्रभागीय वन अधिकारी के पास जमा करवाएगा।
- (ग) उपरोक्त उप-नियम (क) के प्रावधानों के अतिरिक्त, द्वीपसमूह में लकड़ी या किसी भी वन उत्पाद का आयात करने वाले और उसके लेनदेन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा -
- (i) लकड़ी/वन उत्पादों के आयात करने में इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा लकड़ियों के खेप के इस द्वीपसमूह में पहुँचने के सम्भावित तिथि से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले निर्धारित प्रपत्र 'सी' में अनुमति लेने के लिए मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) को आवेदन करना होगा। आवेदक को लकड़ी या वन उत्पादों की प्रत्येक श्रेणी की प्रजाति, आकार और मात्रा तथा उस लकड़ी या वन उत्पाद की उत्पत्ति का स्रोत बताना होगा और उसके समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को आवेदन में आयात के उद्देश्य, मार्ग और गंतव्य का भी उल्लेख करना होगा।
  - (ii) मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) लकड़ी या वन उत्पाद के आयात की अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, यदि संतुष्ट हो जाते हैं कि उक्त लकड़ी या वन उत्पाद के आयात के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, तो अनुमति प्रदान करेंगे।
  - (iii) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए लकड़ी या अन्य वन उत्पाद का आयात करने वाले आवेदक को उन राज्यों/देश के पारगमन नियमों का पालन करना होगा जिनके माध्यम से या जिनसे लकड़ी या अन्य वन उत्पाद का आयात किया जा रहा हो।
  - (iv) लकड़ी या अन्य वन उत्पाद के आयात और इसकी खुदरा बिक्री या उपयोग में लगे व्यक्तियों को लकड़ी या अन्य वन उत्पाद की प्राप्ति और उसके लेनदेन का रिकॉर्ड फॉर्म 'ई' में निर्धारित प्रपत्र में रखने की आवश्यकता होगी और लकड़ी के स्टॉक की मासिक विवरणी को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा।
  - (v) लकड़ी के आयात और उसकी खुदरा बिक्री में लगे व्यक्तियों के पास एक स्थायी डिपो होना चाहिए जो उचित रूप से चार दीवारी या बाड़ से घिरा हो और जिसे प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो। ऐसे स्वीकृत डिपो से ही लकड़ी के निस्तारण की अनुमति दी जाएगी।

- (vi) ऐसे परिसर में संग्रहित लकड़ी या अन्य वन उत्पाद और उसके अभिलेख किसी भी समय किसी भी वन अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
- (vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा आयात की गई लकड़ी या अन्य उत्पाद के विक्रय के लिए संबंधित वन अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित एवं प्रमाणित किये गये केश मेमो/बिल बुक का इस्तेमाल किया जायेगा।
- (viii) वन उत्पादों को द्वीपसमूह में या द्वीपसमूह के भीतर स्थानांतरित करने के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय पारगमन पास सिस्टम (NTPS) के माध्यम से जारी किए गए पारगमन पास/अनापत्ति प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में वैध होगा।
- (घ) उपर्युक्त उप-नियम (क) के प्रावधानों के अतिरिक्त, फर्नीचर या अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए चीरी हुई लकड़ी या अन्य वन उत्पाद के उपयोग में लगे व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा -
- (i) लकड़ी या अन्य वन उत्पाद से फर्नीचर या अन्य वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी इकाई को संबंधित क्षेत्र के अधिकृत प्रभागीय वन अधिकारी के पास पंजीकृत करवाएगा।
  - (ii) कच्चे माल के रूप में चीरी हुई लकड़ी का उपयोग करने वाले फर्नीचर मार्ट या अन्य इकाई के लिए एक संपत्ति हथौड़ा चिन्ह संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के पास पंजीकृत किया जाएगा और उक्त इकाई/मार्ट से निर्मित सभी फर्नीचर और वस्तुओं पर संपत्ति चिह्न लगाया जाएगा।
  - (iii) चीरी हुई लकड़ी या अन्य वन उत्पाद से फर्नीचर या अन्य वस्तुओं के निर्माण में लगे व्यक्तियों को लकड़ी या अन्य वन उत्पाद की प्राप्ति और इसकी खपत का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र 'एफ' में बनाए रखने की आवश्यकता होगी और प्राप्त चीरी हुई लकड़ी या अन्य वन उत्पाद की कुल मात्रा और उत्पादित/बेची गई वस्तुओं के मात्रा और स्टॉक में शेष फर्नीचर या अन्य वस्तुओं की कुल मात्रा का सार दिखाते हुए एक वार्षिक विवरणी संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
  - (iv) फर्नीचर मार्ट या इकाई में प्रयुक्त आरी की संख्या और प्रकार पंजीकरण के समय या बाद के नवीनीकरण के समय प्रभागीय वन अधिकारी को घोषित करना होगा।
  - (v) फर्नीचर मार्ट में प्रयुक्त आरी विशेष रूप से फर्नीचर या अन्य वस्तुओं के निर्माण के उद्देश्य के लिए होनी चाहिए और इसका उपयोग किसी भी ऐसे लट्टे या चीरी हुई लकड़ी को काटने के लिए नहीं दिया जाएगा जो उस फर्नीचर मार्ट से संबंधित नहीं है या उक्त फर्नीचर मार्ट या यूनिट में किसी भी वस्तु के निर्माण से संबंधित नहीं है।
  - (vi) फर्नीचर मार्ट/यूनिट के परिसर या वर्कशॉप या गोदाम या शोरूम में संग्रहित कच्चा माल (लकड़ी या अन्य वन उत्पाद) और निर्मित फर्नीचर या वस्तुएं और मशीनरी या उपकरण और रिकॉर्ड किसी भी वन अधिकारी के निरीक्षण के लिए किसी भी समय खुले रहेंगे।
  - (vii) केवल पंजीकृत फर्नीचर मार्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित और प्रमाणित बिलों से निर्मित फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को बेचने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- (ड) द्वीपों की सीमाओं में या के भीतर या द्वीप से आयातित या निर्यातित सभी लकड़ी पर नियम 4 (ज) के तहत आवश्यक सरकारी हथौड़े का चिन्ह के अलावा, पंजीकृत संपत्ति हथौड़े का चिह्न को चिह्नित किया जाएगा। पंजीकृत संपत्ति हथौड़े का चिह्न और सरकारी हथौड़े का चिह्न के बिना पाई जाने वाली लकड़ी को नियम 8 के प्रावधान के तहत जब्त किया जा सकता है और जांच के लिए कब्जे में लिया जा सकता है।
- (च) प्रभागीय वन अधिकारी किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक संपत्ति चिह्न दर्ज करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि ऐसे दो चिह्नों का डिजाइन एक जैसा न हो।
- (छ) संपत्ति चिह्न के मालिक को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा सम्यक् रूप से पंजीकृत डिजाइन दर्शाया हुआ एक पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्र वार्षिक रूप से प्रभागीय वन अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए।
- (ज) वन उत्पादन को जांच के लिए या उसके बकाये के भुगतान के लिए या सरकारी हथौड़े के निशान लगाने के लिए प्रभागीय वन अधिकारी, जिला उपायुक्त के परामर्श से चेक पोस्ट या डिपो की स्थापना और विनियमन कर सकता है।
10. (क) वन उत्पाद के पारगमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली किसी भी नदी या धारा या चैनल के किनारे को बंद या बाधित नहीं किया जाएगा और न ही पारगमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ऐसी नदी या धारा या चैनल पर नेविगेशन में कोई बाधा उत्पन्न करेगा।

- (ख) जिले के उपायुक्त उस व्यक्ति, जिसने लापरवाही के किसी भी कृत्य से, इस तरह के बंद या बाधा या रूकावट उत्पन्न की है, को लिखित रूप में निर्दिष्ट समय के भीतर इसे हटाने के लिए आदेश दे सकते हैं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर, जिस व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया गया है, उस व्यक्ति के खर्च पर बाधा हटायी जा सकती है।
11. (क) इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छह महीने तक का कारावास अथवा 500/- रुपयों तक की जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
- (ख) उप-नियम (क) में उल्लिखित दंड उन मामलों में दोहरे हो सकते हैं, जहां अपराध सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले या कानूनी प्राधिकरण के प्रतिरोध की तैयारी के बाद किया जाता हो या जहां अपराधी को पहले भी दोषी ठहराया गया हो।
12. निरसन और व्यावृत्तियाँ :
- (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन उत्पाद पारगमन नियम, 1966 एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।
- (ख) उक्त नियम का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :
- (i) उक्त नियम के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत कुछ भी किया गया है या भुगतना पड़ा है; या
- (ii) उक्त नियमों के तहत प्राप्त या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या
- (iii) उक्त नियमों के तहत प्राप्त या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, ज़ब्ती या सजा के बारे में कोई भी जाँच, कानूनी, कार्रवाई या उपाय की स्थापना, जारी रखना या लागू करना एवं ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्ती या सजा दिया जाना जैसा कि उक्त नियम को निरस्त नहीं किया गया हो।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह. / -  
(अमन गुप्ता)  
सचिव (पर्यावरण एवं वन)

**फार्म 'ए'**  
[नियम 4(बी) देखें]  
वन पारगमन पास  
पर्यावरण एवं वन विभाग अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

पुस्तक सं. ....

क्रम सं. ....

1. धारक का नाम और पता :
2. उपज का विवरण :
3. मात्रा :
4. संग्रह का स्रोत और स्थान :
5. गंतव्य :
6. मार्ग (सड़क तथा समुद्र) :
7. पास जारी करने की तिथि :
8. पास की समाप्ति की तिथि :
9. उपज के संग्रह के लिए जारी किए गए परमिट की संख्या और तारीख :
10. हैमर मार्क की प्रतिकृति :

जारीकर्ता अधिकारी के  
हस्ताक्षर और पदनाम

नोट : पारगमन पास तीन प्रतियों में होगी और उस पर क्रम संख्या अंकित होगी।

**फार्म 'बी'**  
(नियम 8(ए)(ii) देखें)  
पर्यावरण एवं वन विभाग  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह  
..... प्रभाग

अ राध रिपोर्ट संख्या.....

दिनांक.....

राजस्व केन्द्र

..... रेंज

अपराध की प्रकृति

द्वि सात की तारीख और समय :  
घ ना स्थल :  
द्वि सके द्वारा पता चला :

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा के संदर्भ में  
(विभागीय वन अधिकारी द्वारा भरे जाने के लिए)

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
		गाँव	थाना	जिला

गवाहों का नाम



(तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने पर)  
सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पूर्ण विवरणों में  
(घटित होने के दिन के बाद रिपोर्ट नहीं बनाई जाएगी)

---

आरोपी का बयान

---

पर्यावरण और वन विभाग  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह  
.....प्रभाग

अपराध रिपोर्ट संख्या.....

दिनांक .....

राजस्व केन्द्र .....

..... रेंज

ज्ञापन संख्या .....

दिनांक .....

कानूनी कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र के साथ जब्ती रिपोर्ट की एक प्रति वन संरक्षक .....को अग्रेषित किया जाता है।

.....प्रभारी

राजस्व केन्द्र

.....रेंज

ज्ञापन संख्या .....

दिनांक .....

कानूनी कार्यवाही के लिए आवेदन सहित निम्न दस्तावेज .....मजिस्ट्रेट/आयुक्त को अग्रेषित किया गया।

.....

.....

.....वन संरक्षक

प्रभारी .....प्रभाग

फार्म 'सी'  
(नियम 9(सी) (i) देखें)  
लकड़ी/अन्य वनोत्पाद के आयात के लिए आवेदन

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक),  
पर्यावरण एवं वन विभाग,  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह,  
पोर्ट ब्लेयर।

महोदय,

मैं/हम, ..... निवासी, .....के  
व्यवसाय में लगे हुए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ..... के बंदरगाह के माध्यम से  
निम्नलिखित विनिर्देशों की लकड़ी/अन्य वन उपज आयात करने की इच्छा रखते हैं।

क्रम संख्या	प्रजातियाँ	विवरण (से.मी.)			आयात (घन में)
		लम्बाई	चौड़ाई	मोटाई	

उपर्युक्त लकड़ी/अन्य वनोपज का आयात ..... से किया जा रहा है। लकड़ी/अन्य वनोपज की  
उत्पत्ति दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न हैं। निम्नलिखित मार्ग से लकड़ी/अन्य वन उत्पाद अण्डमान  
और निकोबार द्वीपसमूह में लाए जाएंगे :

आयातित लकड़ी/अन्य वन उत्पाद ..... बंदरगाह पर .....के द्वारा दिनांक .....को  
पहुँचने की उम्मीद है। आयातित लकड़ी/अन्य वनोपज प्राप्ति होने पर अधोहस्ताक्षरी के गोदाम में ..... ले  
जाया जाएगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त लकड़ी/अन्य वनोपज के आयात एवं अधोहस्ताक्षरी के गोदाम तक इसके परिवहन  
की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के नाम व पता

**फॉर्म 'डी'**  
(नियम 9 (बी)(i) देखें)  
लकड़ी के लट्ठों का रसीद रजिस्टर

क्रम संख्या	दिनांक	पारगमन पास संख्या व तिथि	लट्ठों की संख्या एवं प्रजाति	लकड़ी के लट्ठों का आकार		आयतन (घन में)	परिवर्तन की तारीख	चीरा (घन में)	मात्रा	परिवर्तन के संदर्भ का रजिस्टर
				लम्बाई (से.मी में)	परिधि (से.मी में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**लॉग टिम्बर निपटान एवं परिवर्तन की रजिस्टर**

क्रम सं.	दिनांक	रसीद रजिस्टर के संदर्भ में	लट्ठों का कर्मांक	प्रजाति	चीरी हुई लकड़ियों का विवरण	कुल मात्रा (मीटरों में)	मात्रा में स्थानीय बिक्री	चालान सं. और तिथि	शिपमेंट की मात्रा	शिपमेंट की संख्या	शिपमेंट के पारगमन पास की संख्या के संदर्भ में	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**फॉर्म ई**  
(नियम 9 (सी) (IV) देखें)  
आयातित लकड़ी का रसीद रजिस्टर

क्रम सं.	दिनांक	पारगमन पास का नम्बर और तारीख	लट्ठों/चीरी हुई लकड़ी के टुकड़ों की संख्या एवं प्रजातियाँ	विनिर्देश (से.मी.में)			आयतन (मी.में)	परिवर्तन की तिथि	प्राप्त की गई चीरी हुई लकड़ी (घन में)	निपटान की मात्रा
				लम्बाई	चौड़ाई	मोटाई				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**आयातित लकड़ी की परिवर्तन एवं निपटान की रजिस्टर**

क्रम सं.	दिनांक	प्रजाति	प्रारंभिक जमा (आयतन/टुकड़े/संख्या)	प्राप्त चीरी हुई लकड़ी/परिवर्तन द्वारा उत्पादन (आयतन/टुकड़े/संख्या)	कुल	स्थानीय विक्रय (आयतन/टुकड़े/संख्या)	जमा शेष (आयतन/टुकड़े/संख्या)	चालान/विल संख्या एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**चीरी हुई लकड़ी व लट्ठों के अलावा आयातित वन उत्पादों की प्राप्ति एवं निपटान रजिस्टर**

क्रम सं.	दिनांक	विनिर्देश एवं विवरण	प्रारंभिक शेष	प्राप्त मात्रा	पारगमन पास संख्या, तिथि एवं रसीद का स्रोत	कुल मात्रा	निपटान की गई मात्रा	चालान/विल संख्या एवं तिथि	जमा शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**फार्म 'एफ'**

(नियम 9(डी) (iii) देखें )

फर्नीचर इकाई में कटी हुई लकड़ी/अन्य वनोत्पाद की प्राप्ति और उपयोग

( प्रत्येक श्रेणी की चीरी हुई लकड़ी के लिए पृथक पृष्ठ)

.....माह के लिए

चीरी हुई लकड़ी और प्रजातियों या अन्य वन उत्पादों की श्रेणी	चीरी हुई लकड़ी/ अन्य वन उपज का आकार	प्रारंभिक शेष (दुकड़े/रनिंग मी./आयतन)	दिनांक एवं उत्पत्ति के स्रोत के साथ बिल/गेट पास संख्या	उपयोग की गई मात्रा दुकड़े/रनिंग मी./आयतन) (अपव्यय सहित)	निर्मित वस्तुएं/ फर्नीचर	चीरी हुई लकड़ी/अन्य वनोपज का अंतिम शेष	मालिक और निरीक्षक वन अधिकारी के हस्ताक्षर

.....माह के दौरान फर्नीचर/ निर्मित वस्तु का निपटान

फर्नीचर/वस्तुएं निर्मित	यदि विक्रेता द्वारा चीरी गई लकड़ी की आपूर्ति की जाती है, तो कटी हुई लकड़ी का विवरण, दिनांक, मूल स्रोत के साथ बिल/गेट पास संख्या	निपटाए गई अथवा बची गई फर्नीचर/ वस्तुओं का विवरण	बिक्री के निपटान की बिल संख्या एवं दिनांक	ग्राहक का नाम और पता	स्टॉक में उपलब्ध फर्नीचर का विवरण	मालिक और निरीक्षक वन अधिकारी के हस्ताक्षर

.....माह के दौरान निर्माण फर्नीचर/वस्तुओं के लिए आदेश पुस्तिका

ग्राहक का नाम और पता	निर्माण के लिए ऑर्डर किए गए फर्नीचर/सामग्रियों का आकार, दुकड़ों की संख्या आदि का तारीख के साथ विवरण	क्या ग्राहक द्वारा लकड़ी की आपूर्ति की गई है, तो कटी हुई लकड़ी का विवरण, बिल/गेट पास नंबर, दिनांक और मूल स्रोत के साथ (बिल की जेरीक्स प्रतियां रखी जानी चाहिए)	आपूर्ति की गई फर्नीचर सामग्री का विवरण	बिक्री अथवा निपटान का बिल नंबर और तारीख	मालिक और निरीक्षक वन अधिकारी के हस्ताक्षर

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

Port Blair, dated the 5<sup>th</sup> July, 2023.

No. 74/2023/F.No. F.(T)/21/Vol-IV/03.— In exercise of the powers conferred by Sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), read with the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 69/49/50-AN dated 7.11.1951 and in supersession of Notification No. 4 of 1966, No. 50 of 1981, No. 81 of 2004, No. 219 (A) of 2007 and No. 329 of 2015, the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands is pleased to make the following Rules, namely :

1. (a) These Rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Forest Produce Transit Rules, 2022.  
(b) These Rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :
  - (a) "Forest Produce" means Forest Produce as defined in the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927).
  - (b) "Islands" means Andaman and Nicobar Islands.
  - (c) "Make Shift Unit (MSU)" means units that are permitted to operate and convert round timber pursuant to the Hon'ble Supreme Court order dated 21.11.2008 in I.A. No. 2208 of 2007 in W.P. (C) No. 202 of 1995.
  - (d) "Timber" means 'timber' as defined in the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927).
  - (e) "Sawing" with its grammatical variations and cognate expression means operation of sawing, cutting, converting, fashioning or seasoning wood and includes preservation and treatment thereof either by mechanical process with the aid of electrical or mechanical power or by manually operated saws.
  - (f) Words and expressions used but not defined in these Rules but defined in the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.
3. These Rules shall apply to Forest Produce from any source within the Andaman and Nicobar Islands which are imported, exported or moved by any of the routes into, from or within the boundaries of the said Islands.
4. (a) Within the limits of the areas specified in Rule 3, no person shall conceal any timber or wood or other forest produce.  
(b) No Forest Produce shall be moved into, from or within the Islands except under cover of a transit pass in the Form 'A' hereto annexed from an Officer of the Forest Department of the rank of a Forest Guard and above duly authorized by the Divisional Forest Officer to issue the same or electronic Transit Pass / No Objection Certificate generated through National Transit Pass System (NTPS) or otherwise than in accordance with the conditions of such transit pass.  
(c) Removal of timber out of Islands in log or sawn form is strictly prohibited.  
(d) Issue of transit pass within the Islands for Ornamental timber viz. Marblewood, Chooi, Satinwood and also burr/buttruss of Padauk is strictly prohibited unless covered by permission of the Principal Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands.  
(e) Any person desirous of transporting timber or other forest produce shall apply to the Divisional Forest Officer concerned for issue of transit pass or to generate Transit Pass/No Objection Certificate through NTPS. The applicant shall indicate the species, size and quantity of each category of timber or other forest produce and also the source of origin of such timber or other forest produce and documentary proof in support thereof. He should also specify in the application the purpose of shipment, route and destination thereof. Application for issue of transit pass to cover shipment of forest produce other than timber out of the Islands shall be submitted at least 15 days before the date on which shipment is desired.

- (f) The Divisional Forest Officer, on receipt of application for issue / generation of Transit Pass / No Objection Certificate (NOC) in the manner prescribed in Sub-Rule (e) of Rule 4 above, shall cause enquiry, as expeditiously as possible, to ascertain the source of origin of the timber or other forest produce for which Transit Pass/NOC has been applied for. On completion of enquiry, if the Divisional Forest Officer or his representative is satisfied that there is nothing due to the Government for the timber or other forest produce in question and source of origin of the timber or other forest produce is in order, he shall arrange for issue of Transit Pass or to get the Transit Pass/NOC generated through NTPS.
- (g) Transit Pass/NOC shall be issued on working days during working hours except at the wharfs/ports or other areas in exigency as deemed expedient by the Divisional Forest Officer in public interest only after the timber, in round or sawn form, is impressed with the registered property mark of the shipper and the Government hammer mark, in the manner as provided under Rule 9.
- (h) All timber in respect of which a Transit Pass/NOC has been issued by the officers of the Forest Department shall bear a Government hammer mark. While issuing the Transit Pass detailed description of the produce, the property hammer marks and Government hammer mark borne on the timber, both in case of logs and sawn timber, shall be recorded in the transit pass itself.
- (i) In the case of shipment of forest produce other than timber to mainland ports, four copies of the Transit Pass shall be issued in the following manner :-
- (i) First copy to be retained as office copy which shall be kept in the office of issue.
  - (ii) Second copy to be given to the owner of the forest produce.
  - (iii) Third copy to be given to the Govt. Depot Officer on the mainland.
  - (iv) Fourth copy to be given to the carrier (no shipment shall be allowed without any valid Transit Pass by the transporting agency).
- (j) The Transit Pass holders shall abide by the Transit Rules of the States concerned through or to which the forest produce is transported.
- (k) The timber or other forest produce in transit may be checked by any forest officer of the Andaman and Nicobar Forest Department when required to do so.
- (l) Fees for Transit Passes/NOC in respect of different items of forest produce moved into or from or within the Islands may be levied in accordance with rates as may be prescribed by the Principal Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands from time to time. It shall be within the competence of the Principal Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands subject to the approval of Govt. to regulate the movement of certain kinds of forest produce in short supply from the Islands.
5. The import and export of all forest produce into, within and from the Islands, is subject to the control of the Principal Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands.
6. Any person importing, exporting or moving forest produce into, from or within the Islands or any person in possession or charge of forest produce in transit, shall produce the Transit Pass/NOC (referred to in Rule 4) on demand by any Forest Officer or Police Officer.
7. (a) All forest produce to which these Rules apply, and any cattle cart, vehicle, boat or other vessel suspected to carrying the same, shall be liable to stoppage by any Forest Officer within the Islands for the purpose of examination and check.
- (b) Any sum due and payable to the Forest Department, Andaman and Nicobar Islands, on such forest produce shall be realised at the nearest Forest Office.
- (c) Any forest produce not covered by a Transit Pass referred to in Sub-Rule (b) of Rule 4 together with boats, carts, vehicles or cattle, other modes of transport, if any carrying the same or any timber, wood or other forest produce which is concealed in contravention of Sub-Rule (a) of Rule 4, shall be liable to seizure and dealt with further under the provisions contained in the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) and any cattle seized in this connection shall be liable to be impounded.

- (d) For movement of sawn timber within the municipal limits of Port Blair challan issued by a dealer/saw mill owner which has been approved for use by the Divisional Forest Officer concerned may be treated as Transit Pass for the purposes of these rules.
- (e) For movement of sawn timber from Government Saw Mills, the Gate Pass issued for the purpose by the Government Saw Mills may be treated as Transit Pass within the Andaman & Nicobar Islands for the purpose of these Rules.

(a) Any Forest Officer, who has seized any forest produce under Rule 7 shall :-

- (i) Immediately issue a written notice to the owner of such forest produce, or if the owner is unknown, to the person in charge or possession of such forest produce at the time of seizure, calling upon him to produce proof of the origin of the forest produce and his title thereto within thirty days from the date of issue of such written notice, a copy of which shall be pasted on a Notice Board at the Forest Office; and
- (ii) Submit a seizure report in Form 'B' hereto annexed without delay to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made.

(a) Any person dealing in timber fashioned or unfashioned shall register with the Divisional Forest Officer concerned, a property mark which, after approval by the Divisional Forest Officer and on payment of fees prescribed by the Chief Conservator of Forests (Territorial) concerned, shall be registered in the Divisional Forest Office. The property mark so registered shall remain valid for 3 calendar years ending on the 31<sup>st</sup> December of the year subject to renewal as required under Sub-Rule (g) hereunder:

Provided that the Divisional Forest Officer, may at his discretion and at any time require the return of such registered property mark and replacement of the same by a fresh property mark duly approved by him.

(b) In addition to provisions of Sub-Rule (a) above, the Make Shift Unit, shall abide by the following procedure for obtaining Transit Pass :

- (i) The property hammer for a Make Shift Unit shall be registered and certificate of registration issued only on the condition that the owner maintains a register in prescribed form (Form D) for running of the unit and complies with the instructions issued in this regard by the Principal Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands from time to time. A monthly abstract of total quantity of timber accepted for conversion and the total quantity and variety of end products/ sawn timber with balance of unconverted stock in hand shall be submitted to the concerned Divisional Forest Officer.
- (ii) The Make Shift Unit owner shall see that (i) the round timber, sawn timber and wood waste is properly stacked according to the instructions that may be issued from time to time by the Divisional Forest Officer so as to facilitate stock taking; (ii) logs for sawing should not be accepted in the unit unless it bears property marks and is covered by a Forest Transit Pass. For the purpose of this condition all the logs lying in the Make Shift Unit or its premises will be considered as the timber in custody of the Make Shift Unit owner for sawing or conversion; (iii) timber which does not conform to the requirements of condition (ii) shall not be accepted for conversion and intimation in respect of such timber shall forthwith be given to the nearest Forest Office and (iv) the Make Shift Unit, as well as the timber stored within the premises of the Make Shift Units shall be open to inspection at any time by any Forest Officer.
- (iii) In the event of change in the ownership of the Make Shift Units the above procedure has to be observed afresh for registration of property marks and until fresh certificate of registration is issued by the Divisional Forest Officer concerned, the transfer shall not be recognized.
- (iv) The owner of the Make Shift Unit when not interested to run the Unit, shall inform the Divisional Forest Officer concerned accordingly and deposit his property mark duly sealed with the Divisional Forest Officer for safe custody.



- (c) In addition to provisions of Sub-Rule (a) above, the persons importing timber or any forest produce into the Islands and dealing in the same shall abide by the following procedure :
- (i) Any person desirous of importing timber/ forest produce shall apply in the form prescribed in Form 'C' to the Chief Conservator of Forests (Territorial) for granting the permission at least 15 (Fifteen) days before the date on which shipment of timber is expected to reach the Islands. The applicant shall indicate the species, size and quantity of each category of timber or forest produce and the source of origin of such timber or forest produce with documentary proof in support thereof. He should also specify in the application the purpose of import, route and destination thereof.
  - (ii) The Chief Conservator of Forests (Territorial) on receipt of application seeking permission for import of timber or forest produce, if satisfied that there is nothing objectionable to the import of the said timber or forest produce shall grant the permission.
  - (iii) The applicant importing the timber or other forest produce to Andaman & Nicobar Islands shall abide by the Transit Rules of the States/Country through or from which the timber or other forest produce is being imported.
  - (iv) Persons engaged in import of timber or other forest produce and its retail sale or use locally shall be required to maintain a record of receipt of timber or other forest produce and its disposal in the form prescribed in Form 'E' and will be required to submit a monthly return of the stock of timber to the Divisional Forest Officer concerned.
  - (v) Persons engaged in import of timber and its retail sale should have a permanent depot properly walled or fenced and duly approved by the Divisional Forest Officer. Disposal of timber shall be permitted only from such approved depots.
  - (vi) The timber or other forest produce stored within the premises of such persons and the records thereof shall be open to inspection at any time by any Forest Officer.
  - (vii) For sale of timber or other forest produce imported by such persons, cash memo/bill book duly approved and authenticated by the Divisional Forest Officer concerned shall be used.
  - (viii) The forest produce moved into, from or within the Islands under the cover of Electronic Transit Pass/ No Objection Certificate issued through online National Transit Pass System shall also be valid in the whole of Andaman & Nicobar Islands.
- (d) In addition to provisions of Sub-Rule (a) above, the persons engaged in use of sawn timber or wood or other forest produce for manufacture of furniture or other items shall abide by the following procedure :
- (i) Any person engaged in manufacture of furniture or items of timber or other forest produce as raw material shall get his unit registered with the Divisional Forest Officer having jurisdiction over the area concerned.
  - (ii) A property hammer mark for the furniture mart or other unit using sawn timber as a raw material shall be registered with the Divisional Forest Officer concerned and property mark shall be affixed on all the furniture and items manufactured therefrom the said unit/mart.
  - (iii) Persons engaged in manufacture of furniture or items of timber or other forest produce shall be required to maintain a record of receipt of timber or other forest produce and its consumption in the form prescribed in Form 'F' and an annual return showing the abstract of total quantity of sawn timber or other forest produce received and total quantity of furniture or other items produced, sold and balance in stock shall be submitted to concerned Divisional Forest Officer.
  - (iv) The number and type of saws used in the furniture mart or unit shall be declared to the Divisional Forest Officer at the time of registration or at the time of subsequent renewals.
  - (v) The saws used in the furniture mart should be exclusively for the purpose of manufacture of furniture or other items and shall not be used for sawing/re-sawing of any log or sawn timber not belonging to the furniture mart or not meant for manufacture of any item, in the said furniture mart or unit.

- (vi) The raw materials (timber or other forest produce) stored and the furniture or items manufactured and the machinery or implements in the premises or workshop or godown or showroom of the furniture mart / unit and the records shall be open to inspection at any time by any Forest Officer.
- (vii) Only registered furniture marts will be authorized to sell furniture and other items manufactured by the said units by using timber or other forest produce under the cover of the bills duly approved and authenticated by the Divisional Forest Officer concerned.
- (e) All timber, imported or moved into, or within the limits of the Islands shall be marked with a registered property mark in addition to a Government Hammer mark as required under Rule 4 (h). Timber found without a registered property mark and a Government Hammer mark shall be liable to detention and seizure for enquiry under the provision of Rule 8.
- (f) The Divisional Forest Officer may at his discretion permit any one person to register more than one property mark, provided that no two such marks shall have identical design.
- (g) A certificate of registration showing the design approved by the Divisional Forest Officer and duly registered shall be furnished to the owner of a property mark. Certificate must be returned annually to the Divisional Forest Officer for the purpose of renewal.
- (h) The Divisional Forest Officer, may, in consultation with the Deputy Commissioner of the District provide for the establishment and regulation of Check Posts or Depots at which forest produce shall be stopped for examination or for the payment of dues thereof or in order that Government Hammer marks may be affixed to the same.
10. (a) There shall be no closing or obstructing of any river or stream or channel or the bank of any river, stream or channel used or capable of being used for the transit of forest produce nor shall there be any stoppage of navigation on such rivers, streams and channels for such transit.
- (b) The Deputy Commissioner of the District may order any person who by any act of negligence, has caused such closure or obstruction or stoppage to remove the same within a time to be specified in writing and on the expiry of such period, may cause the obstruction to be removed at the cost of the person to whom such notice has been issued.
11. (a) Any person contravening any of the provisions of these Rules shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to Rs. 500/- or with both.
- (b) Penalties which are double of those mentioned in Sub-Rule (a) may be inflicted in cases where the offence is committed after sunset and before sunrise or after preparation for resistance to lawful authority or where the offender has been previously convicted of a like offence.
12. **Repeal and Savings :**
- (a) The Andaman and Nicobar Islands Forest Produce Transit Rules, 1966 is hereby repealed.
- (b) The repeal of the said Rule shall not affect :
- (i) the previous operations of the said Rule so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or
- (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired or incurred under the said Rules; or
- (iii) any investigation, legal procedure or remedy in respect of which such right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment as aforesaid on any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Rule had not been repealed.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-  
(Aman Gupta)  
Secretary (Environment & Forests)

**FORM 'A'**

[See Rule 4(b)]

**FOREST TRANSIT PASS  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT & FORESTS  
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS**

	Book No. ....	Serial No. ....
1.	Name and Address of Holder	:
2.	Description of Produce	:
3.	Quantity	:
4.	Source and place of collection	:
5.	Destination	:
6.	Route (Road and Sea)	:
7.	Date of issuing the Pass	:
8.	Date of expiry of the Pass	:
9.	Number and date of Permit issued for collection of produce	:
10.	Facsimile of the Hammer Mark	:

Signature & Designation of the  
Issuing Officer

---

**Note:** The pass shall be in triplicate form and shall be serially numbered.

**FORM 'B'**  
[See Rule 8(a)(ii)]

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT & FORESTS  
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS**

..... DIVISION

Offence Report No. ....

Dated .....

Revenue Station  
Range

NATURE OF OFFENCE

Date and hour of detention :

Place of occurrence :

By whom detected :

REFERENCE TO SECTION OF THE FOREST ACT AND INDIAN PENAL CODE'  
(To be filled in by the Divisional Forest Officer)

Names of Accused

Name	Father's Name	Place of Residence		
		Village	Thana	District

Name of Witnesses

(FULL REPORT OF FACTS OVER LEAF)

**FULL REPORT OF ALL THE FACTS IN DETAILS**  
**(To be framed not later than the day after the occurrence)**

---

---

**STATEMENT OF THE ACCUSED**

---

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT & FORESTS  
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS**

..... DIVISION

Offence Report No. ....

Dated .....

Revenue Station

-----Range

Memo No. ....

Dated .....

FORWARDED to the ..... Conservator of Forests, -  
..... with a copy of the Seizure Report and an application for  
issue of process.

..... Officer-in-Charge

Revenue Station

-----Range

Memo No. ....

Dated .....

FORWARDED to the ..... Magistrate/Commissioner of  
..... with an application for issue of process and the  
following documents:

-----  
-----

..... Conservator of Forests,

In-charge ..... Division

**FORM 'C'**

[See Rule 9(c)(i)]

**APPLICATION FOR IMPORT OF TIMBER/OTHER FOREST PRODUCE**

To,  
 The Chief Conservator of Forests (Territorial),  
 Department of Environment & Forests,  
 Andaman & Nicobar Islands,  
 Port Blair.

Sir,

I/We ....., R/o ..... engaged in the business of ....., desire to import timber/other forest produce of the following specifications into the Andaman & Nicobar Islands through the port of .....

Sl. No.	Species	Specifications (in Cm)			Volumn (in Cm)
		Length	Width	Thickness	

The import of the above stated timber/other forest produce is being made from ..... Necessary documentary proof showing the origin of the timber/other forest produce is enclosed. The timber/other forest produce shall be brought to the Andaman & Nicobar Islands by the following route:

The imported timber/other forest produce is expected to arrive at the Port of ..... by ..... on ..... The imported timber/other forest produce on receipt shall be transported to the godown of the undersigned at .....

It is requested that permission may please be granted for import of the above mentioned timber/other forest produce and its transport to the godown of the undersigned.

Place:  
 Date:

Name & Address of the Applicant

**FORM 'D'**  
[See Rule 9(b)(i)]  
**LOG TIMBER RECEIPT REGISTER**

Sl. No.	Date	TP No. & Date	Log No. & Species	Log Sizes		Volumn (in m <sup>3</sup> )	Date of conversion	Sawn m <sup>3</sup>	Quantity	Ref. to Conversion Register
				Length (in cm)	Girth (in cm)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**LOG TIMBER CONVERSION AND DISPOSAL REGISTER**

Sl. No.	Date	Ref. to Receipt Register	Log No.	Species	Details of sawn sizes	Total quantity (in m <sup>3</sup> )	Local sale in quantity	Challan No. & Date	Shipment quantity	Shipment No.	Ref. to Shipment TP No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**FORM 'E'**  
[See Rule 9(c)(iv)]  
**IMPORTED TIMBER RECEIPT REGISTER**

Sl. No.	Date	TP No. & Date	Log Timber / Sawn timber pcs. No. & Species	Specification (in cm)			Volumn (in m <sup>3</sup> )	Date of conversion	Sawn timber obtained (in m <sup>3</sup> )	Quantity disposed
				Length	Girth	Thickness				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**IMPORTED TIMBER CONVERSION AND DISPOSAL REGISTER**

Sl. No.	Date	Species	Opening Balance (Vol./Pcs./No.)	Sawn timber received / produced by conversion (Vol./Pcs./No.)	Total	Local sale (Vol./Pcs./No.)	Closing Balance (Vol./Pcs./No.)	Challan / Bill No. & Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**RECEIPT & DISPOSAL REGISTER FOR IMPORTED FOREST PRODUCE OTHER THAN LOGS & SAWN TIMBER**

Sl. No.	Date	Specification & Description	Opening Balance	Quantity received	TP No., Date & Source of receipt	Total quantity	Quantity disposed	Challan/ Bill No. & Date	Closing Balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**FORM 'F'**

[See Rule 9(d)(iii)]

**RECEIPT AND UTILIZATION OF SAWN TIMBER/ OTHER FOREST PRODUCE IN THE FURNITURE MART**

(SEPARATE PAGE FOR EVERY CATEGORY OF SAWN TIMBER) FOR THE MONTH OF .....

Category of sawn timber and species or other forest produce	Size of sawn timber/ other forest produce	Opening Balance (Pcs/R.mt/Vol.)	Bill/Gate Pass No. with date and source of origin	Quantity utilized Pc./R.mt/Vol. (including wastage)	Furniture/items manufactured	Closing Balance of sawn timber/ other forest produce	Signature of Proprietor and inspecting Forest Officer

**DISPOSAL OF FURNITURE/ITEM MANUFACTURED DURING THE MONTH OF .....**

Furniture/items manufactured	If sawn timber supplied by the purchaser, the details of sawn timber, Bill/Gate Pass No. with date and source of origin	Details of furniture/items disposed or sold	Bill No. and date of sale or disposal	Name & address of the customer	Particulars of furniture available in stock	Signature of Proprietor and inspecting Forest Officer

**ORDER BOOK FOR MANUFACTURING FURNITURE/ ITEMS DURING THE MONTH OF .....**

Name & address of the customer	Particulars of furniture/items with size, number of pieces etc. ordered for manufacture with date of order	Whether timber supplied by the party, the details of sawn timber, Bill/Gate Pass No. with dated and source of origin (Xerox copies of Bills should be kept)	Details of furniture item supplied	Bill No. and date for sale or disposal	Signature of Proprietor and inspecting Forest Officer